न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री राजेश मेवाड़ा (आर.ए.एस.)

<u>राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्या</u> :— 356 / 2018

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीः—
1. हीरालाल पुत्र गमनाराम जाति सीरवी निवासी विलावास तहसील सोजत जिला पाली राज0		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि—धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला—पाली

<u>राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री कैलाश दवे एवं श्री नरेन्द्र सेन अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

—: <u>निर्णय</u> :— दिनांक — 15.07.2019

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक विविध प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा विलावास तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान) में प्रार्थी एवं अन्य सह खातेदारान की कृषि भूमि स्थित है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 1279 खसरा संख्या 626, 627, 628, 633, 651, 671, 672, 677, 683 कुल किता खसरा 09 कुल रकबा 50.6400 हैक्टर तथा खाता संख्या 1324 खसरा संख्या 109, 678, 3512, 4321, 4327, 4355, 4411, 4413, 4424, 4830 / 4355 कुल किता खसरा 10 कुल रकबा 2.5900 हैक्टर एवं खाता संख्या 1006 खसरा नम्बर 2617 / 4869 रकबा 0.0400 गै0मु0वाड़ा सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रार्थी एवं अन्य सह खातेदारान की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। उपरोक्त समस्त कृषि भूमि में प्रार्थी का 1 / 2 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित ए, बी, सी की कृषि भूमि में प्रार्थी बतौर खातेदार काश्तकार है, जिस कृषि भूमि में खाता संख्या बी सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रार्थी की एकमात्र कब्जा काश्त की कृषि भूमि है तथा खाता संख्या सी में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी 1 / 2 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि के खाता संख्या ए, बी, सी में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा विना प्रार्थी के सही एवं वास्तविक नाम के दस्तावेजात का अवलोकन किये विना पैनऑफ मिस्टेक व सदभाविक भूलवश प्रार्थी हीरालाल के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में हीरकाराम एवं हीराराम इन्द्राज कर दिया। जो कि गलत है। वल्कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम हीरालाल ही है तथा प्रार्थी का गांव परिवार समाज में हीरालाल के नाम से भी जाना व पहचाना जाता है। बल्कि प्रार्थी के स्वयं मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड, गैस उपभोक्ता डायरी एवं अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम हीरालाल ही दर्ज है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम हीरालाल ही है वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति खातेदार नही है अर्थात् वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी के अलावा अन्य कोई खातेदारान नही है अर्थात् वादस्थ कृषि भूमि में हीराराम, हीरकाराम प्रार्थी हीरालाल ही है तथा प्रार्थी को हीरालाल के नाम से ही सम्बोधित किया जा रहा है। बल्कि प्रार्थी के पिता गमनाराम के हीरालाल के अलावा अन्य कोई इसी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

नाम का अन्य कोई पुत्र या वारिस नही है न ही ग्राम बिलावास में हीरालाल पुत्र गमनाराम का अन्य कोई व्यक्ति है। राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम हीरालाल के स्थान पर हीरकाराम एवं हीराराम दर्ज करने की जानकारी पूर्व से नही थी, प्रार्थी अनपढ, वृद्ध होने से उक्त त्रुटि के सम्बन्ध में जानकारी पूर्व में नही हो पायी। अभी वर्तमान में दिनांक 31.10.2018 को प्रार्थी उपरोक्त कृषि भूमि पर ऋण की आवश्यकता होने से सम्बन्धित पटवारी हल्का से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहने हेतु कहा, जिस पर सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि में हीरालाल दर्ज न होकर हीरकाराम एवं हीराराम नाम दर्ज होने की जानकारी दी। जिस पर प्रार्थी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकर्ड की वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने पर प्रार्थी को जानकारी हुई कि वादरथ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम हीरालाल दर्ज न कर हीरकाराम एवं हीराराम पैन ऑफ मिस्टेक, सदभाविक भूल त्रुटि से दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। जिसे प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी हीरालाल का नाम दुरूस्त किये जाने से राजस्व रेकर्ड के किसी अन्य सहखातेदारान पर किसी प्रकार का कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेंगा और न ही किसी खातेदारी अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थी का नाम हीरालाल के स्थान पर हीरकाराम एवं हीराराम दर्ज हो जाने से प्रार्थी को कई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग में प्राप्त योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है व अन्य लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि के खाता संख्या ए, बी, सी की समस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम हीरकाराम एवं हीराराम के स्थान पर हीरालाल दर्ज किया जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने जबाब प्रा0 पत्र दिनांक 06.02.2019 को पेश कर वर्णित बिन्दु 1 को स्वीकार कर, 2 से 4 को प्रार्थी स्वयं द्वारा सिद्ध किये जाने तथा 5 व 6 बिन्दु कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया का होना अंकित किया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र के समर्थन ने सहखातेदार भंवरलाल पुत्र सुराराम सीरवी सा0 बिलावास एवं जेठाराम पुत्र रामलाल सीरवी सा0 बिलावास का तस्दीक सुदा शपथ पत्र पेश किए, सामिल मिसल है। प्रा0 पत्र के संलग्न अधिवक्ता प्रार्थी ने आधार कार्ड संख्या 770859545003 मतदाता सूचना पत्र निर्वाचन आयोग पहचान पत्र आर0जे0/21/161/129372 दिनांक 19.10.2018 तथा राशन संख्या 539331 की छायाप्रतियां पेश की है, सा0मि0 है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित ए0बी0सी0 पदों में वर्णित कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज हीराराम पुत्र गमनाराम तथा हीरकाराम पुत्र गुमनाराम के स्थान पर सही व वास्तविक रूप से हीरालाल पुत्र गमनाराम जाति सीरवी सा0 बिलावास दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत को कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र साक्ष्य सबूतों दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि दर्ज सहखातेदारान भंवरलाल व जेठाराम के तस्दीक सुदा ताईद में शपथ पत्रों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित सरहद मौजा–बिलावास तह0 सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 626, 627,628, 633, 651, 671, 672, 677 व 683 कुल किता 09 रकबा 50.6400 हैक्टर चा0सो0, जा0सो0, बंजड़, ख0न0 109, 678, 3512, 4321, 4327, 4355, 4411, 4413, 4424, 4830/4355 कुल किता 10 रकबा 02.5900 हैक्टर चा0प्र0, चा0दो0, बा0अ0, जा0अ0, जा0दो0, बंजड़ तथा ख0न0 2617/4869 रकबा 0.0400 हैक्टर गै0मु0 बाड़ा की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज नाम हीराराम, गमनाराम, हीरकाराम पुत्र गुमनाराम एवं हीराराम पुत्र गमनाराम सीरवी सा0 बिलावास के स्थान पर वास्तविक व सही नाम की संपुष्टि हो जाने से हीरालाल पुत्र गमनाराम सीरवी सा0 बिलावास दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

—:आदेश:—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बिलावास में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 626, 627,628, 633, 651, 671, 672, 677 व 683 कुल किता 09 रकबा 50.6400 हैक्टर, चा0सो0, जा0सो0, बंजड़ एवं ख0न0 109, 678, 3512, 4321, 4327, 4355, 4411, 4413, 4424, 4830/4355 कुल किता 10 रकबा 02.5900 हैक्टर चा0प्र0, चा0दो0, बा0अ0, जा0अ0, जा0दो0, बंजड़ तथा ख0न0 2617/4869 रकबा 0.0400 हैक्टर गै0मु0 बाड़ा की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज नाम हीराराम, गमनाराम, हीरकाराम पुत्र गुमनाराम एवं हीराराम पुत्र गमनाराम सीरवी सा0 बिलावास के स्थान पर वास्तविक व सही नाम की संपुष्टि हो जाने से हीरालाल पुत्र गमनाराम सीरवी सा0 बिलावास दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner